न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/19 **निर्णय दिनांकः– 21–01–2020**
(आरसीएमएस संख्या 2019/00139)

1.	महेन्द्र कौर	पिसरान जगराज सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासीगण गांव मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2.	संदीप कौर	
3.	लखवीर सिंह	
4.	गुरचरण सिंह	

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–07–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25–07–1998 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर नीलामी में भाग नहीं लेने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता द्वारा तहसील खाजुवाला में चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/58 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को भूमि आवंटन का पात्र भी मान लिया

गया था। परन्तु बाद में नीलामी में भाग नहीं लेने के कारण अपीलांट्स के पिता के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट्स के पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा जब भी आवंटित किया जायेगा आपको जरिये नोटिस सूचित कर दिया जायेगा। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये वादग्रस्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलाट्स को उनके पिता की सक्षमता के अनुसार अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–07–1998 के विरूद्व अपील दिनांक 25–07–19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट्स के पिता का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया जाकर अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि हेतु अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अन्य पात्र आवेदक को भूमि आवंटित की जा चुकी है। अतः अब अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–07–1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27–03–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/58 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट्स के पिता के अतिरिक्त अन्य आवेदकों द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा सभी पात्र आवेदकों को जरिये नीलामी भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई तथा सभी पात्र आवेदकों को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में अदालत मातहत द्वारा सभी पात्र आवेदकों को नोटिस जारी करते हुए अपीलांट्स के पिता को भी जरिये कमांक 6914 दिनांक 29–06–1998 नोटिस जारी करते हुए अभिलिखित किया गया कि वे वादगत् भूमि का आवंटन हेतु वांछित सबूत यथा वर्ष 1955, 1971, 1975, 1980, 1985, 1993 की वोटर लिस्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, मय 35 प्रतिशत राशि रूपये 21005/– लेकर आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित आवें। अपीलांट्स के पिता द्वारा आवंटन हेतु ना तो वांछित सबूत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये ना ही निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र समान वरियता में अन्य को पात्र धोषित किये जाने पर दिनांक 25–07–1998 को निरस्त कर दिया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(4) प्रकरण में अपीलांट्स के पिता को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने का अवसर अदालत मातहत द्वारा प्रदान किया जा चुका है। अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक

नहीं रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है। प्रकरण में अपीलांट्स के पिता द्वारा आवेदित भूमि अन्य को आवंटित हो चुकी है। विशेष आवंटन नियमों के अन्य भूमि प्रदान किये जाने के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोइ अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25–07–1998 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.01 21:32:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: